राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–69 (लो0सू0अ0)/2023–24

मो. सुल्तान हुसैन इद्रीसी, पता–रूपगंज केवाडा के पास, वार्ड नं.–30, छपरा, सारण

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
23.08.2023	मो. सुल्तान हुसैन इद्रीसी, पता–रूपगंज केवाडा के पास, वार्ड नं.–30, छपरा, सारण के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–शून्य इस कार्यालय में दिनांक–17.08.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 295109 दिनांक–24.06.2023 संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे। अपीलकर्त्ता मो. सुल्तान हुसैन इद्रीसी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–22.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को निबंधित डाक से दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–22.06.2023 की छाया प्रति भी संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–22.06.2023 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–12.09.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 23/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक- 1333/रा०स०(U1)　　　　　　दिनांक- 25-08-2023

प्रतिलिपिः-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/मो. सुल्तान हुसैन इद्रीसी, पता-रूपगंज केवाडा के पास, वार्ड नं.-30, छपरा, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

अपील वाद संख्या--69 (लो०सू०अ०)/2023--24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.09.2023	दिनांक-11.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त है। अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दिये के कारण दायर किया था, परंतु प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के प्रपत्र 'क' दिनांक-22.06.2023 के इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना पदाधिकारी, नगर निगम, सारण, छपरा को अपने पत्रांक-आर.टी.आई./स्था.-90/23-94 दिनांक-11.07.2023 के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया है। साथ ही लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उक्त पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी मोहम्मद हुसैन को भी भेजी गयी है। अतः इस संबंध में प्रथम अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकार, छपरा नगर निगम के कार्यालय में किया जाना चाहिए था न की राज्यपाल सचिवालय में। अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष यह अपील दायर किया है। अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक- 1424/श०स०(III) दिनांक- 13-09-2023

प्रतिलिपिः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/मो. सुल्तान हुसैन इद्रीसी, पता-रूपगंज केवाड़ा के पास, वार्ड नं.-30, छपरा, सारण को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी